अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

एडमिट कार्ड को A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करें। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार की फ़ोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित हों। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी परिस्थिति में सत्यापन स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी;. कृपया एडमिट कार्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों में उल्लेखित केवल आवश्यक वस्तुएं ही लाएं। निर्देश नीचे उल्लेखित हैं:

1. अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण अनुदेशों को डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पूर्णता से पालन करें।
2. सत्यापन स्थल पर पहुँचनें से पूर्व उम्मीदवार प्रवेश पत्र में एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका कर लाएँ ।
3. केंद्र पर भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित समय स्लॉट के अनुसार सत्यापन स्थल पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। सत्यापन स्थल में प्रवेश केवल दिए गए समय स्लॉट के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
4. उम्मीदवार को गेट बंद होने के समय के बाद सत्यापन स्थल में प्रवेश करने और सत्यापन पूरा होने से पहले सत्यापन स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. उम्मीदवार को प्रवेश पत्र, 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, वैध पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी के साथ जाँच कर सत्यापन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
6. उम्मीदवारों को मूल रूप से एक वैध पहचान प्रमाण पत्र और उसकी फोटोकॉपी (फोटो-पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड ले कर आना होगा। 10वीं का (प्रमाणपत्र) जिसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि के साथ-साथ उम्मीदवार को जारी किया गया प्रवेश पत्र भी होना चाहिए और उसे केंद्र में सत्यापन के समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आईडी कार्ड पर उल्लिखित विवरणी के समान होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी ।
7. मैट्रिक के बाद नाम परिवर्तित किये हुए अभ्यर्थियों कों मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ मूल पहचान पत्र भी लाना होगा। अभ्यर्थी की पहचान, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र से किया जायेगा।
8. उम्मीदवारों को सत्यापन स्थल पर कलम(Pen) के अतिरिक्त किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई अन्य संचार उपकरण, या किसी भी प्रकार की कोई अन्य संदिग्ध सामग्री सहित कोई अन्य व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। सत्यापन अधिकारी व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
9. उम्मीदवारों को DL सत्यापन से पूर्व बायोमेट्रिक सिस्टम पर खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक है। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर कोई बाहरी सामग्री जैसे मेहंदी, स्याही आदि न लगाएं। एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति/फोटोग्राफ कैप्चर हो जाने के बाद, उम्मीदवार को सत्यापन के बाद ही हॉल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
10. सत्यापन स्थल पर किसी भी अनियंत्रित व्यवहार/गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सत्यापन केंद्र सीसीटीवी निगरानी में हैं।
11. उम्मीदवारों को सत्यापन हॉल छोड़ने से पहले सत्यापनकर्ता को प्रवेश पत्र की वीक्षक प्रति, आईडी कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी फोटोकॉपी के साथ निरीक्षक को जमा कराना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
12. कृपया निरीक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें और सलाह दिए जाने तक सीट से न उठें।
13. यह प्रवेश पत्र बिना किसी जाँच के जारी किया जा रहा है। सत्यापन केंद्र पर आने से पूर्व अभ्यर्थी अपने DL के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर ले कि वे हर तरह से आवश्यक योग्यता को धारित करते हैं जैसे उनकी श्रेणी, आयु ,आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आदि। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।
14. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिहार विधान परिषद् की आधिकारिक वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर नियमित अपडेट देखते रहे और अपने पंजीकृत ई-मेल तथा SMS में दिए निर्देशों का पालन करें।